यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु0न0.......08/2016..........

स्टेट.......................................

बनाम ....ओमप्रकाश पुत्र मनफूल ....

सा0 ....छानीबड़ी............ तह. रावतसर

निर्णय दिनांक ....26/9/18...........

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ....छानीबड़ी....... ने रिपोर्ट की है कि खसरा न0 ...691/405... रकबा ...1.012......... गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज/सिवाय चक परफसल खरीफ ....ग्वार....... में नाजायज काश्त की है।

रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिकमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन,मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अमिकमी है। इस लिये काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का 50 गुणा तावान .... 110...... रूपये.......एक सौ दस रुपये मात्र....... मात्र कायम किया जाता हैं।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी0आर0ए0 को लिखा जावें तथा भू–राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिकमित क्षैत्र में बोई गई फसल की निलामी कर,निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावें कि अतिकमित क्षैत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक.....26/9/18.........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

'घ' रजिस्टर के पेज नम्बर 16 की क्रम संख्या 17 पर तवान रकम/निलामी 110 + 250 Rs. 360 दर्ज किया गया।

DRA

उप पंजीयक

पल्ल